126

न्यायालय श्री मान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

R. 5206-दो/16

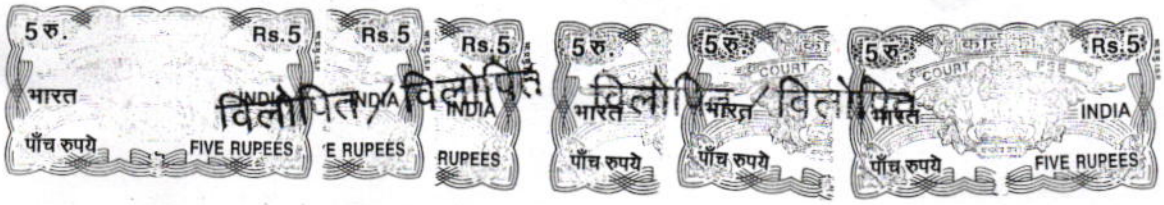

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

1– श्रीमती उमा देवी मौर्य

2– श्रीमती चन्द्रवती मौर्य

दोनो के पिता स्व0 श्री छैल बिहारी मौर्य

3– सैयाबुद्दीन उर्फ बाबू तनय सहादत हुसेन

4– मोहम्मद हारून पिता श्री सहादत हुसेन

5– जाकिर हुसेन पिता श्री सहादत हुसेन

सभी निवासी ग्राम माधवगढ तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0

-----आवेदिकागण / निगरानी कर्ता गण

बनाम

1– केशव प्रताप सिंह तनय श्री जमुना सिंह सार्किन टिकुरिया तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

2– श्री लक्ष्मी नारायण सेन

3– कमांल अहमद

4– गुलबहार

5– कमलेश मिश्रा

6– लल्लन सेन

7– मोहम्मद सरीफ

8– सुरेश कुमार गुप्ता

9– लाल मोहम्मद

सभी निवासी ग्राम माधवगढ तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0

---- अनावेकगण / गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व आदेश कलेक्टर सतना जिला सतना म0प्र0 के आदेश दिनांक 26–04–16 प्र0क0 43 / अ19 / III 2015–16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0स0 1959 ई0

उमा देवी मौर्य

मान्यवर,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5206-दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-8-2016	आवेदक अभिभाषक श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला सतना के समक्ष केशव प्रताप सिंह बगैर द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे माधवगढ की आराजी 527/1 रकबा 0.53 डि. में फर्जी तरीके से दर्ज पट्टा की जांच कर म0प्र0 शासन दर्ज किये जाने का आवेदन दिया। जिसपर अधीनस्थ न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से तहसीलदार रघुराजनगर के प्रतिवेदन भेजे जाने का निर्देश दिया। तहसीलदार ने यह प्रतिवेदन दिया कि राजस्व पंजी वर्ष 1975-76 में प्रकरण क्रमांक 21/अ-19/75-76 किसी नाम से दर्ज नहीं है। उक्त जांच प्रतिवेदन अवलोकनार्थ अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर को प्रेषित किया। तहसीलदार के प्रतिवेदन तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार रघुराजनगर ने प्रकरण कलेक्टर के समा स्वप्रेरणा निगरानी में लिया जाकर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। कलेक्टर सतना ने तहसीलदार एवं	

अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण स्वप्रेरणा में लिया। कलेक्टर सतना ने अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के प्रतिवेदन को आधार मानकर प्रश्नाधीन आराजी में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज किये जाने की प्रविष्टि प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य होने से आदेश पारित कर दिया। कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 43/अ-19(iii)/15-16 में आदेश दिनांक दिनांक 26-4-16 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3/ प्रकरण का अवलोकन किया। अवलोकन पश्चात उक्त प्रकरण में यह पाया जाता है कि निगरानीकर्ता क्रमांक 1 उमादेवी मौर्य एवं चन्द्रवती मौर्य के पिता स्व0 छैलाबिहारी के नाम से व्यवस्थापन दिनांक 9-12-77 को प्रकरण क्रमांक 21/अ-19/75-76 में तहसीलदार के द्वारा पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध कोई अपील/निगरानी प्रस्तुत नहीं की गइ है इस कारण आदेश चुनौती विहीन है। जहां तक तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी व कलेक्ट के द्वारा यह विवेचना की गई है कि प्रकरण क्रमांक 21/अ-19/75-76 दायरा पंजी में दर्ज नहीं है, उचित नहीं है क्योंकि तहसीलदार के ही द्वारा दायरा पंजी रजिस्टर की नकल प्रदान की गई है। जिसे निगरानी कर्ता द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त नकल दायरा रजिस्टर वर्ष 1975-76 संलगन दायरा

रजिस्टर वर्ष 1976-77 में पृष्ठ क्रमांक 84 पर 21/अ-19/75-76 दिनांक 14-1-76 को माधोगढ़ आगे छेलबिहारी बनाम म0प्र0 शासन एलाटमेन्ट बावत आराजी अम्बर 527/1 रकबा 0.53 डि. मौजा माधोगढ़ का उल्लेख है, जिससे अधीनस्थ न्यायालयों की विवेचना गलत प्रतीत होती है। उक्त प्रकरण में 31 वर्षो के बाद प्रकरण स्वप्रेरणा में लिया जाना उचित नहीं है। कलेक्टर ने निगरानीकर्तागणों को कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया है। सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया है।

4/ इस तरह में इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि कलेक्टर जिला सतना का प्रकरण क्रमांक 43/अ-19(iii)/15-16 आदेश दिनांक 26-4-16 विधिसंगत न होने से निरस्त किया जाता है। निगरानीकर्तागणों की निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य